रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2008] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2014/अश्विन 8, 1936
No. 2008] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014/ASVINA 8, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2014

का.आ. 2543(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2330(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 2011 को अधिक्रांत करते हुए श्री जितेन्द्र कुमार पटेल, सहायक प्रबंधक, गुजरात राज्य क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन, एचपीसीएल—मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड (एच.एम.पी.एल.) की मुंदरा—बठिण्डा पाइपलाइन के लिए अगले आदेशों तक सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा.सं.आर—31015/6/2004—ओ.आर.—II]
पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2014

S.O. 2543(E).—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in suppression of notification number S.O. 2330(E) dated the 11th, October, 2011, the Central Government hereby authorizes Shri Jitendra Kumar Patel, Assistant Manager, HPCL-Mittal Pipelines Limited, to perform the functions of the Competent Authority for the Mundra-Bathinda Pipeline, under the said Act, within the territory of the State of Gujarat from the date of Gazette publication and until further orders.

[F. No. R-31015/6/2004-OR-II]
PAWAN KUMAR, Under Secy.

3929 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.